

## न्यायेतर कार्यों के नैतिक नहितार्थ

हाल के वर्षों में, न्यायेतर दंडों का उदय भारत सहित कई समाजों में एक गंभीर नैतिक संकट के रूप में उभरा है। "बुलडोज़र न्याय" जैसी प्रथाएँ, जहाँ सरकारी अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त कर देते हैं और भीड़ द्वारा हिसा जिसमें सक्षम समूह कानून को अपने हाथों में ले लेता है, वधिका शासन एवं मौलिक मानवाधिकारों के लिये महत्वपूर्ण खतरे उत्पन्न करते हैं। ये कार्य अक्सर औपचारिक न्याय प्रणालियों के साथ व्यापक नरिशा से उत्पन्न होते हैं जिनमें धीमा, भ्रष्ट या अप्रभावी माना जाता है। जबकि कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ऐसे उपाय तत्काल प्रतशिोध प्रदान करते हैं जहाँ न्यायालय वफिल हो जाता है, वे गहन नैतिक लागतों के साथ आते हैं जो नरिदोषता, आनुपातिकता और उचित प्रक्रिया जैसे मूल सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।

इस संदर्भ में भीड़ द्वारा न्याय, मुठभेड़ और राज्य द्वारा अनुमोदित हिसा जैसी प्रथाओं सहित न्यायेतर दंड की घटनाएँ महत्वपूर्ण नैतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, जिनकी आलोचनात्मक जाँच की आवश्यकता है। ये कार्य स्थापित वधि ढाँचों को दरकिनार करते हैं, जिससे सामाजिक मानदंडों, व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों पर उनके प्रभाव के विषय में सवाल उठते हैं। न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिये इन नैतिक चिंताओं को समझना आवश्यक है।

यह लेख न्यायेतर दंड के नैतिक आयामों पर गहराई से चर्चा करता है तथा वधि, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से उनके नहितार्थों की खोज करता है। सामाजिक अनुबंध के टूटने और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करके हम इन प्रथाओं से उत्पन्न खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

## न्यायेतर कार्यों से संबंधित नैतिक चिंताएँ क्या हैं?

- **वधिका शासन बनाम भीड़ द्वारा न्याय:** न्यायेतर दंड के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं में से एक है, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन।
  - एक लोकतांत्रिक समाज में, वधिको सुसंगत और नषिपक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सजा दिये जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को नषिपक्ष सुनवाई का अधिकार मिले।
  - न्यायेतर कार्रवाइयाँ वधि प्रक्रियाओं को दरकिनार करके तथा जनभावनाओं की सनक पर नरिभर होकर इस मौलिक सिद्धांत को कमजोर करती हैं।
  - इससे वधि सुरक्षा के कषरण तथा प्राधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - उदाहरण के लिये, सक्षम समूह जनभावना के आधार पर दंड लागू कर सकते हैं, जिससे वधि निगरानी के बिना गंभीर अन्याय हो सकता है।
- **वधि के समक्ष समानता:** न्यायेतर दंड अक्सर चुनदा तरीके से लागू किये जाते हैं, धार्मिक, जातगत या राजनीतिक कारणों के आधार पर विशेष समुदायों या व्यक्तियों को नशाना बनाते हैं। यह वधि के समक्ष समानता और वधि के तहत समान सुरक्षा के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- **दंड की आनुपातिकता: यदि अभियुक्त दोषी भी हों, तो भी बुलडोज़र न्याय और भीड़ हिसा में प्रायः कथित अपराधों के अनुपात से कहीं अधिक दंड दिया जाता है।**
  - उदाहरण के लिये, छोटे-मोटे अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करना न्याय का गंभीर उल्लंघन है।
- **मानवाधिकार उल्लंघन:** उचित प्रक्रिया के बिना संपत्तियों को ध्वस्त करने से गंभीर मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - जनि व्यक्तियों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, वे अपना घर, आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा खो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं।
  - संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और इन ध्वस्तीकरणों की मनमानी प्रकृति नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के संबंध में नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है।
  - इसके अलावा, कमजोर आबादी असमान रूप से प्रभावित होती है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे उठते हैं।
- **सामूहिक दंड:** बुलडोज़र न्याय का परिणाम अक्सर सामूहिक दंड के रूप में होता है, जहाँ पूरे समुदाय को व्यक्तियों के कथित कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
  - यह दृष्टिकोण उन नैतिक सिद्धांतों का खंडन करता है जो व्यक्तिगत जवाबदेही और न्याय पर जोर देते हैं।
  - ऐसी कार्रवाइयों के प्रभाव से असंतोष बढ़ सकता है, सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है तथा हिसा और प्रतशिोध का चक्र जारी रह सकता है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है।
- **जन भावना बनाम न्याय:** बुलडोज़र न्याय का विकास प्रायः जन आक्रोश से प्रेरित होता है, विशेष रूप से जघन्य अपराधों के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप।
  - जबकि समुदायों के लिये जवाबदेही की मांग करना स्वाभाविक है, लेकिन जब सार्वजनिक भावना वधि ढाँचों पर हावी हो जाती है, तो नैतिक सवाल उठते हैं।

- भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और न्याय के सिद्धांतों के बीच इस संघर्ष पर गहन विचार करने की आवश्यकता है कि सांस्कृतिक मान्यताएँ दंड एवं प्रतिलोभ की हमारी अवधारणा को कैसे प्रभावित करती हैं।
- **वधि प्रवर्तन के लिये नैतिक नहितार्थ:** जब राज्य प्राधिकारी न्यायेतर दंड में संलग्न होते हैं या उसका मौन समर्थन करते हैं, तो यह उचित वधि माध्यमों से न्याय को कायम रखने की राज्य की नैतिक ज़िम्मेदारी का परतियाग दर्शाता है।
  - जब वे बुलडोज़र न्याय में संलग्न होते हैं या उसका समर्थन करते हैं तो वे अपनी नैतिक और वधि ज़िम्मेदारियों से समझौता करते हैं।
  - इस तरह की कार्रवाइयों से वधि प्रवर्तन एजेंसियों में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है, जिससे पुलिस के बारे में यह धारणा बन सकती है कि वह न्याय की रक्षक नहीं बल्कि उत्पीड़न का साधन है।
  - वधि को बनाए रखने के नैतिक दायित्व को कानून प्रवर्तन प्रथाओं का मार्गदर्शन करना चाहिये तथा उचित प्रक्रिया और जवाबदेही के महत्त्व पर बल देना चाहिये।
- **नरिदोषता की धारणा: अधिकांश न्याय प्रणालियों का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक नरिदोषता की धारणा कायम रखी जाती है।**
  - न्यायेतर दंड इस अवधारणा का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे आरोपी व्यक्तियों को इस तथ्य के बावजूद दोषी मानते हैं कि उनके अपराधों का आधिकारिक रूप से नरिणय नहीं हुआ है।
  - इससे एक खतरनाक मसाला कायम हो रही है, जहाँ केवल आरोप लगाने पर ही कड़ी सजा हो सकती है।
- **सत्य और न्याय:** न्यायेतर दंड प्रायः अफवाहों या अधूरी जानकारी के आधार पर तात्कालिक आवेश में दिये जाते हैं।
  - इससे सत्य का पता लगाने और तथ्यों के आधार पर वास्तविक न्याय देने के लिये गहन जाँच में बाधा उत्पन्न होती है।
- **दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव:** तत्काल न्याय की भावना प्रदान करते हुए, इन प्रथाओं का सामाजिक सामंजस्य, संस्थाओं में विश्वास और समाज के ताने-बाने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। नैतिक लागत किसी भी अल्पकालिक लाभ से कहीं अधिक हो सकती है।

## न्यायेतर कार्यों पर दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है?

- **गांधीवादी परिप्रेक्ष्य:** इस दृष्टिकोण से, न्यायेतर दंड अहंसा और न्याय के मूल मूल्यों के विपरीत हैं।
  - गांधीजी ने "पाप से घृणा करो, पापी से नहीं" पर बल दिया तथा गलत कार्यों से निपटने में करुणा और समझदारी का आग्रह किया।
  - इस तरह के दंड वधिके शासन को कमजोर करते हैं, बदले की भावना को बढ़ावा देते हैं तथा हिसा के चक्र को कायम रखते हैं, जिससे अंततः समाज को नुकसान पहुँचता है और न्याय प्रणाली में विश्वास खत्म होता है।
- **प्रतिलोभात्मक बनाम पुनर्र्स्थापनात्मक न्याय:** प्रतिलोभात्मक न्याय में एकतरफा दंड के माध्यम से न्याय को बहाल करना शामिल है, जबकि पुनर्र्स्थापनात्मक न्याय एक सहयोगात्मक द्विपक्षीय प्रक्रिया में साझा मूल्यों की पुनः पुष्टि करके न्याय को सुधारने पर केंद्रित है।
  - बुलडोज़र न्याय और भीड़ द्वारा हिसा दंड पर केंद्रित प्रतिलोभात्मक न्याय के चरम रूपों का प्रतिलोभित्व करते हैं। यह अधिक नैतिक पुनर्र्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोणों के विपरीत है जिसका उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास करना और समुदायों को ठीक करना है।
- **कांटीय नैतिकता: इमैनुएल कांट** के दृष्टिकोण से, न्यायेतर दंड उस स्पष्ट अनिवार्यता का उल्लंघन करते हैं जो व्यक्तियों को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में मानने पर ज़ोर देती है न कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में।
  - इस तरह की कार्रवाइयों नैतिक कानून को कमजोर करती हैं, मानव गरिमा के प्रति सम्मान को समाप्त करती हैं तथा न्याय को ध्वस्त करती हैं, क्योंकि इनमें सार्वभौमिकता का अभाव होता है तथा ये तर्कसंगत नैतिक सिद्धांतों को कायम रखने में विफल रहती हैं।
- **रॉलसियन न्याय:** जॉन रॉलस के "अज्ञानता के पर्दे" के दृष्टिकोण से, न्यायेतर दंड अनुचित हैं। यदि नरिणयकरता अपनी स्वयं की सामाजिक स्थिति या पहचान से अनभिज्ञ होते - जैसे कि पीड़ित या अपराधी होना, तो वे संभवतः ऐसी न्याय प्रणाली का समर्थन करते जो सभी के लिये उचित प्रक्रिया और नृपिपक्षता को प्राथमिकता देती हो।
  - एक नृपिपक्ष समाज को उचित प्रक्रिया और न्यायसंगत व्यवहार को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि न्याय बर्ना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक रूप से लागू हो।

## वधिके शासन स्थापित करने के लिये संतुलित दृष्टिकोण क्या होना चाहिये?

- **वधिके शासन को सुदृढ़ बनाना:** यह सुनिश्चित करके कि वधि को सुसंगत और नृपिपक्ष रूप से लागू किया जाए, वधिके शासन के सिद्धांत को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है।
  - इसमें स्पष्ट वधि ढाँचे की स्थापना करना शामिल है जो उचित प्रक्रिया को नरित्तरति करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कथित गलत कार्य करने वालों के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई वधिके प्रोटोकॉल का पालन करती है।
- **वधि सुधार: न्याय प्रदान करने में तेज़ी लाने** और लंबित मामलों को कम करने के लिये वधि प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये।
  - न्यायिक संसाधनों में वृद्धि करके, कुशल मामला प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तथा न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ बनाने के लिये वधि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:** नागरिकों को उनके अधिकारों और उचित प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - हमें सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिये, जिसमें सनसनीखेजता की बजाय न्याय पर ज़ोर दिया जाए।
  - जागरूकता अभियान वधि मानदंडों के प्रति सम्मान की संस्कृतिको बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं, जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि न्यायेतर कार्य सामाजिक स्थिरता और न्याय को कमजोर करते हैं।
  - मानवाधिकारों पर संवाद को प्रोत्साहित करने से वैध और नृपिपक्ष व्यवहार के लिये प्रतिलोभ अधिक दयालु समाज का विकास होगा।
- **सामुदायिक सहभागिता: वधि प्रवर्तन एजेंसियों और समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करके** भीड़ द्वारा न्याय के आकर्षण को कम किया जा सकता है।
  - ऐसी पहल जिसमें समुदाय के सदस्यों को पुलिस के साथ संवाद में शामिल किया जाता है, अंतराल को पाटने और सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है, जिससे वधि प्रणाली की वैधता बढ़ सकती है।
- **सत्कर्तावाद के विरुद्ध नीति:** सरकार को सत्कर्तावाद और न्यायेतर कार्यों के विरुद्ध कठोर नीतियाँ तथा दंड लागू करने चाहिये।

- सार्वजनिक अधिकारियों और वधि परिवर्तन एजेंसियों को ऐसी प्रथाओं का समर्थन करने या उनमें भाग लेने के लिये जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।
- **पुनर्स्थापनात्मक न्याय पहल: पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोण** को बढ़ावा देने से दंडात्मक उपायों के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
  - पुनर्वास, मध्यस्थता और सामुदायिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम अंतरनिति मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं तथा सामाजिक सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं।
- **मानवाधिकार संरक्षण को मज़बूत करना:** मानवाधिकारों की रक्षा के लिये एक मज़बूत ढाँचा आवश्यक है।
  - इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि मज़ोर आबादी को मनमाने कार्यों से बचाया जाए तथा अधिकारों का उल्लंघन होने पर नविरण के लिये तंत्र मौजूद हो।

## नषिकर्ष

न्यायेतर दंडों का उदय महत्त्वपूर्ण नैतिक दुविधाओं को जन्म देता है जो न्याय और मानवाधिकारों की नींव को चुनौती देते हैं। बुलडोज़र न्याय और भीड़ द्वारा हिसा जैसी प्रथाएँ न केवल वधि के शासन को कमज़ोर करती हैं बल्कि वधि संस्थाओं में विश्वास को भी समाप्त करती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो उचित प्रक्रिया को मज़बूत करता है, सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शक्ति करता है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय का समर्थन करके और मानवाधिकार सुरक्षा को बढ़ाकर समाज इन अनैतिक प्रथाओं के कारण होने वाली दरारों को भरना शुरू कर सकता है। अंततः न्याय प्रणालियों में विश्वास बहाल करना यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों को नषिकर्ष और न्यायसंगत तरीके से बरकरार रखा जाए।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ethical-implications-of-extrajudicial-actions>

